



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

8 माघ, 1942 (श०)

संख्या-68 राँची, गुरुवार,

28 जनवरी, 2021 (ई०)

नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

27 जनवरी, 2021

संख्या-08/निकाय/10/2020/न०वि०आ०-298--विभागीय अधिसूचन संख्या-1910, दिनांक-28.07.2020 से गठित झारखण्ड नगरपालिका निर्वाचित प्रतिनिधि (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2020 के आलोक में नियमावली की कंडिका-4.7 के प्रावधानों के अंतर्गत झारखण्ड राज्य के समस्त नगर निकाय से संबंधित जन प्रतिनिधियों के विरुद्ध गठित आरोप एवं उनसे प्राप्त बचाव बयान की सुनवाई हेतु विभाग स्तर पर दो सदस्ययी जाँच समिति का गठन निम्नवत् किया जाता है:

क्र०	नाम/पदनाम	नामित पदनाम
1	श्री अरूण कुमार रतन, अपर सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची	जाँच पदाधिकारी
2	संबंधित निकाय के नगर आयुक्त/अपर नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी/विशेष पदाधिकारी अथवा उनके द्वारा मनोनित कोई राजपत्रित पदाधिकारी	प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी

2. नामित पदाधिकारी झारखण्ड नगरपालिका निर्वाचित प्रतिनिधि (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2020 के प्रावधानों के अन्तर्गत जाँची कार्य सम्पन्न करेंगे।
3. विभाग के संबंधित सहायक प्रशाखा पदाधिकारी/नगर प्रबंधक उक्त विभागीय समिति को आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।
4. अधिसूचना प्रारूप पर सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अरुण कुमार रतन,
सरकार के अपर सचिव।
